रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 127] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1985/चैत्र 4, 1907
No. 127] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1985/CHAITRA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 305 (अ) :—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132, उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में यथावर्णित टूटीकोरिन पत्तन न्यास (आवास आबंटन) संशोधन विनियम, 1985 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी डब्ल्यू/पी ई टी-32/79]
पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

तूत्तीकोरिन पत्तन न्यास (आवास का आबंटन) संशोधन, विनियम, 1985

(सं. एस. 6/18/84-सी डी एन)

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तूत्तीकोरिन पत्तन के न्यासी बोर्ड एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 124 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की शर्त के अधीन तूत्तीकोरिन पत्तन न्यास (आवास का आबंटन) विनियम, 1979 (भारत के असाधारण राजपत्र के दिनांक 1 मार्च, 1979 के सा॰ का. नि. 103 (ङ.) के रूप में प्रकाशित) का संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाते है, अर्थात :—

1. (1) ये नियम तूत्तीकोरिन पत्तन न्यास (आवास का आबंटन) संशोधन विनियम, 1985 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. तूत्तीकोरिन पत्तन न्यास (आवास का आबंटन) विनियम, 1979 (जिसे इसमें मुख्य नियम कहा गया है) के नियम 3 में,—

(1) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(खख) 'बोर्ड' का अर्थ है, तूत्तीकोरिन पत्तन का न्यासी बोर्ड" ;

(2) खंड (i) के तीसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"बशर्ते कि जहां दो अथवा दो से अधिक कर्मचारियों की अग्रता तारीख एक ही है, उनके बीच वरिष्ठता निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी—

(i) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा ली जा रही परिलब्धियों की राशि द्वारा, उच्चतर परिलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्मचारी को निम्नतर परिलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्मचारी की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी;

(ii) जहां परिलब्धियां बराबर हों, वहां बोर्ड के अंतर्गत उनकी सेवा की अवधि द्वारा;

(iii) जहां परिलब्धियां, बोर्ड के अंतर्गत उन की सेवा की अवधि दोनों बराबर हों, वहां कर्मचारियों की जन्म तिथि के अनुसार आयु में वरिष्ठता के आधार पर; तथा

(iv) जहां परिलब्धियां, बोर्ड के अंतर्गत सेवा की अवधि तथा आयु बराबर हों, वहां प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत परिस्थितियों, उदाहरणार्थ परिवार में सदस्यों की संख्या तथा मामले से संबंधित अन्य परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी; तथा

(v) यदि उपर्युक्त के आधार पर कोई निर्णय लेना संभव न हो तो आवास का आबंटन पर्ची निकालकर किया जाएगा" ।

3. प्रमुख विनियमों के खंड (ण) के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(ण) 'किराया' का अर्थ है इन विनियमों के अंतर्गत आबंटित किए गए आवास के संबंध में अध्यक्ष अथवा बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निर्धारित किया गया मासिक देय धन की राशि" ।

4. प्रमुख विनियमों के नियम 6 के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"6. आवास का वर्गीकरण : अन्यथा उल्लेख न किए जाने पर इन विनियमों में कोई भी कर्मचारी अपनी परिलब्धियों तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर बोर्ड द्वारा नियत किए गए कार्यों के उचित टाइप के आवास के आबंटन के लिए पात्र होगा ।

5. प्रमुख विनियमों के नियम 7 के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"7. किराये की वसूली : नियम 6 के अंतर्गत आबंटित किए गए आवास की टाइप अथवा बोर्ड के किसी भी कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर आबंटित किए गए आवास को टाइप जो कि उसके द्वारा धारित पद के कार्यों के उचित टाइप से अधिक है, के संबंध में किराये की वसूली, बोर्ड द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से जारी किए गए आदेशों के अनुसार की जाएगी" ।

6. प्रमुख विनियमों के नियम 12 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"12. आबंटन अथवा आबंटन की आफर को स्वीकार न किया जाना अथवा स्वीकार किये जाने के पश्चात् आबंटित किए गए आवास का कब्जा न लेना :

(i) यदि कोई कर्मचारी पांच दिन के अंदर आबंटन को स्वीकार नहीं करता है अथवा आबंटन के पत्र के प्राप्त होने की तारीख से आठ दिन के अन्दर आवास का कब्जा नहीं लेता है तो वह आबंटन के पत्र की तारीख से लेकर 1 वर्ष की अवधि के लिए दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा ।

(ii) यदि कोई कर्मचारी जिसके कब्जे में निम्न टाइप का आवास है, को नियम 6 के अंतर्गत उसकी पात्रता के टाइप का आवास आबंटित किया जाता है अथवा आबंटन की आफर को मना करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों पर पहले से आबंटित किए गए आवास में रहने की स्वीकृति दी जाएगी अर्थात् :—

(क) ऐसा कर्मचारी आबंटन के पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये आवास की उच्चतर श्रेणी के लिये पात्र नहीं होगा ।

(ख) कि वर्तमान आवास के कब्जे के दौरान उससे वही किराया वसूला जायेगा जो कि इस प्रकार से आबंटित अथवा आफ़र किये गये आवास के संबंध में अध्यक्ष अथवा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा अथवा उसके कब्जे वाले पहले के आवास के संबंध का किराया, इनमें से जो भी अधिक हो" ।

टिप्पणी :

1. तूत्तीकोरिन पत्तन न्यास (आवास का आबंटन) विनियम, 1979 को सा. का. नि. 103 (ड) द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1979 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

के. ए. सुन्दरम, अध्यक्ष
तूत्तीकोरिन, पत्तन न्यास

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 25th March, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 305(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust (Allotment of Residences) Amendment Regulations, 1985 as set out in the Schedule attached.

2. The said regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. PW PET-32|79]

P. V. RAO, Joint Secy.

SCHEDULE

TUTICORIN PORT TRUST (ALLOTMENT OF RESIDENCES) AMENDMENT REGULATIONS, 1985.

(No. S-6|18|84-CDN)

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Tuticorin hereby makes, subject to the approval of the Central Government under Section 124 of the said Act, the following Regulations to amend the Tuticorin Port Trust (Allotment of Residences) Regulations, 1979 (Published as GSR 103 (E) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st March, 1979, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Tuticorin Port Trust (Allotment of Residences) Amendment Regulations, 1985.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government in the Official Gazette.

2. In Regulation 3 of the Tuticorin Port Trust (Allotment of Residences) Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the Principal Regulations),—

(1) After clause (b), the following shall be inserted, namely :—

"(bb) 'Board' means the Board of Trustees of the Port of Tuticorin" ;

(2) For the Third Proviso to clause (i), the following shall be substituted, namely :—

"Provided also that where the priority date of two or more employees is the same, seniority among them shall be determined—

(i) by the amount of emoluments drawn by each such employee, the employee in receipt of higher emoluments taking precedence over the employee in receipt of lower emoluments ;

(ii) where the emoluments are equal, by the length of service under the Board ;

(iii) where the emoluments and also the length of service under the Board are equal, on the basis of seniority in age according to the date of birth of the employees; and

(iv) where the emoluments, length of services under the Board and also the age are equal, then the Chairman shall decide the seniority keeping in view the personal circumstances of the individual employes, e.g. size of the family and other circumstances germane to the issue; and

(v) if a decision on the above basis is not possible the allotment of accommodation shall be decided by drawing lots".

3. For clause (j) of the Principal Regulations the following shall be substituted, namely .—

"(j) 'rent' means the sum of money payable monthly as determined by the Chairman or the Board with the approval of the Central Government in respect of a residence allotted under these Regulations".

4. For Regulation 6 of the Principal Regulations, the following shall be substituted, namely :—

"6. Classification of Residence : Save as otherwise provided in these Regulations, an employee shall be eligible for being allotted a residence of the type appropriate to his emoluments and duties as fixd by the Board from time to time with the approval of the Central Government.

5. For Regulation 7 of the Principal Regulations the following shall be substituted, namely :—

"7. Recovery of Rent.—The recovery of rent for the type of residence allotted under Regulation 6 or the type of residence allotted to an employee of the Board at his own request, which exceeds that which is appropriate to the duties of the post held by him, shall be in accordance with the orders of the Board issued from time to time with the approval of the Central Government."

6. For Regulation 12 of the Principal Regulations the following shall be substituted, namely :—

"12. Non-acceptance of allotment or offer of allotment or failure to occupy the allotted residence after acceptance :—

(i) If an employee fails to accept the allotment within five days or, fails to take possession of the residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter.

(ii) If an employee occupying a lower type of residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under regulation 6, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted

residence on the following conditions, namely :—

(a) that such an employee shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter for the higher class of accommodation ;

(b) that while retaining the existing residence, he shall be charged the same rent which he would have had to pay as determined by the Chairman or the Board in respect of the residences so allotted or offered or the rent payable in respect of the residence already in his occupation whichever is higher".

NOTE :

1. The Tuticorin Port Trust (Allotment of Residences) Regulations, 1979, were published vide GSR 103(E) of the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 1st March, 1979.

K. A. SUNDARAM, Chairman
Tuticorin Port Trust

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054; 1985